इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 4 नवम्बर, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूी

मौद्रिक नीति ---------- ----------1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां / बैंकिंग ागत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन - ----------3
बीमा ------ ----------4
विदेशी मुद्रा ----------5
बैंकिंग मामलों से सम्बन्धित कानून / सहकारी बैंकिंग ----------5
नयी नियुक्तियां / उत्पाद एवं गठजोड ----------6
सूक्ष्मवित्त / बासेल -III - पूंजी विनियमन ----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ---------- --------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की 2री तिमाही की समीक्षा - 29 अक्तूबर, 2013

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की दर तात्कालिक प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 9.0% के स्थान पर 8.75% कर दी गई।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत दर को तात्काि लक प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ा कर 7.5% के स्थान पर 7,75% कर दिया है।

- 7 दिन और 14 दिन की अवधि वाली मीयादी पुनर्खरीद दरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली चलनिधि बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 0.25% से तात्कालिक प्रभाव से बढ़ा कर 0.5% कर दी गई है।

- घरेलू स्तर पर जहां औद्योगिक गतिविधि कमजोर पड़ गई है, वहीं कृषि में अपेक्षित वृद्धि के साथ सुदृढ़ होती निर्यात वृद्धि, कुछेक सेवाओं में पुनरुज्जीवन के संकेत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि को 1ली तिमाही के 4.4% से बढ़ा कर कुल मिला कर 5.0% के मध्यवर्ती अनुमान तक पहुंचा सकते हैं। अवरुद्ध पड़ी बड़ी परियोजनाओं के पुन: प्रवर्तन और निवेश पर मत्रिमंडलीय समिति द्वारा अवरोधों के निर्मूलन से वर्षांत तक निवेश एवं समग्र गतिविधि में उछाल आ सकता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक एक-दिवसीय चलनिधि समायोजन सुविधा पुनर्खरीद दरों के माध्यम से, निर्यात ऋण पुनर्वित्त के माध्यम से तथा 7 दिन और 14 दिनों वाली मीयादी पुनर्खरीद दरों के माध्यम से चलनिधि उपलब्ध कराता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरक्षित निधि से सम्बन्धित अपेक्षाओं का प्रबन्धन करने में अधिकाधिक लोच प्रदान कर रखा है। हालांकि, आगे ाल कर निधियों की आपूर्ति और मांग के बीा असंतुलन को कम करने हेतु बैंकों की ओर से अधिक स्थायी रणनीति तथा ामाराशियां ुटाने हेतु प्रयासों को तीव्र करने की ारूरत होगी।

- बाहरी मोर्चे पर नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ व्यापार घाटे में सुस्पष्ट कमी से विदेशी मुद्रा बाज़ार में कुछ स्थिरता आई है, किन्तु सामान्यता केवल तभी आएगी जब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वितरक कम्प नियों से डालर की मांग बाज़ार को पूर्णत: वापस कर दी जाए।

- थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक की सहूलियत वाले स्तर से अधिक पर बनी हुई है तथा वह 2013-14 की दूसरी छमाही के दौरान वर्तमान स्तर के आसपास श्रेणीबद्ध रह सकती है । इसके अलावा, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का उच्च बने रहना एक चिंता की बात है।

- अच्छे मानसून का खाद्य मुद्रास्फीति पर अच्छा प्रभाव हो सकता था, किन्तु पहले से ही उच्च खाद्य एवं ईंधन की मुद्रास्फीति के दूसरे दौर वाले प्रभाव अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर ऊर्ध्वमु खी दबाव डाल सकते हैं।

- बाहरी क्षेत्र के जोखिमों में कमी आई है, क्योंकि चालू खाते के घाटे में 2013-14 की 2री तिमाही से कमी आने की संभावना है। व्यापार संतुलन पर किए गए नीतिगत उपायों का प्रभाव पड़ा है, निर्यात में बढोतरी हुई है और सोने के आयात में कमी आई है।

- व्यापक मुद्रा की वृद्धि मोटे तौर पर रिज़र्व बैंक के संकेतात्मक प्रक्षेप-वक्र के अनुरूप रही है तथा कम्पनियों द्वारा बैंक वित्त का अधिकाधिक आश्रय लिये जाने के परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि में तेजी आई है। जहां वित्तीय बाज़ारों में तेजी आई है, वहीं गावदुम (Tapering) के कारण निकट समय की अनि श्चितताएं चिंता का कारण बनी हुई हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंकों के मामले में विदेशी उधार से सम्बन्धित मानदंड आसान बनाए गए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के मामले में विदेशी उधार से सम्बन्धित मानदंडों को हाल ही में खोली गई अदला-बदली खिड़की के तहत उन्हें विदेशी शाखाओं के अलावा उनके प्रधान कार्यालयों एवं संप र्कियों के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दे कर शिथिल कर दिया है। अब तक यह खिड़की (सु विधा) केवल विदेशी शाखाओं तक ही सीमित थी। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I वाले बैंक इसके पूर्व वर्णित या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-अनुमत किसी अन्य संस्था से विदेशी मुद्रा में निधियां उधार ले सकते हैं। वे इस सुविधा का उपयोग उनकी अक्षुण्ण टियर-I पूंजी के 100% अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर, इनमें से जो भी अधिक हो, तक जुटाने हेतु कर सकते हैं। इस मुहिम का उद्देश्य विदेशों से नि धियां प्राप्त करने में बैंकों को अधिकाधिक लचीलापन उपलब्ध कराना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नयी आरटीजीएस प्रणाली की शुरूआत की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के भुगतानों के निपटान को सुगम बनाने के लिए 19 अक्तूबर को नवीकृत तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की शुरूआत की है। उक्त तत्काल सकल भुगतान प्रणाली अंतर-संस्थागत / अंतर-बैंक लेनदेनों - दो सदस्यों / सहभा गियों के बीच निधियों के अंतरण जैसे लेनदेनों को संसाधित करेगी। यह ग्राहक के लेनदेनों - नि धियों के

अंतरण / किसी आरटीजीएस सहभागी सदस्य के ग्राहक की ओर से प्राप्ति को भी संचालित करेगी। , सरकारी लेनदेनों यथा- सहभागी सदस्य की ओर से उसके द्वारा संचालित सरकारी लेखों से सम्बन्धित निधियों के अंतरण/ प्राप्ति को भी निष्पादित किया जाएगा। मोटे तौर पर चार प्रकार के सहभागी -यथा भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों जैसे नियमित सहभागी, प्राथमिक व्यापारियों और समाशोधन गृहों जैसे प्र तिबंधित सहभागी तत्काल सकल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसकी अन्य विशेषताएं हैं उन्नत चलनिधि और कतार प्रबन्धन विशेषताएं, ग्रिडलॉक निवारण व्यवस्था, मिश्रित निपटान सुविधा, बहु-मुद्रा लेनदेनों को संसाधित करने हेतु भावी मूल्य वाले दिनांकित लेनदेनों एवं विकल्पों को स्वीकार करने की सुविधा। तत्काल सकल भुगतान प्रणाली एक ऐसी बड़े मूल्य वाली निधि अंतरण प्रणाली है जिसका उपयोग बैंक स्वयं अपने खातों के लिए और उसके साथ ही अपने ग्राहकों के खातों के लिए अंतर-बैंक अंतरणों का निपटान करने हेतु करते हैं।

नयी चल (मोबाइल) शाखाएं खोलने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को किसी भी स्थान पर विस्तार पटल, अनुषंगी कार्यालय, चल शाखाएं, केन्द्रीय संसाधन केन्द्र, सेवा शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय मुक्त रूप से खोलने की अनुमति दे दी है। इन्हें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की कुल संख्या बैंक-रहित ग्रामीण केन्द्रों अथवा टियर-I वाले केन्द्र में खोली जाने वाली कुल शाखाओं के कम से कम 25% हो, इस आशय वाले मानदंडों के अधीन नहीं माना जाएगा।

ऋण सीमओं के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय निर्यात-आयात बैंक को यह निदेश दिया है कि वे उधारकर्ताओं की निर्यात ऋण सीमाओं का परिकलन इस प्रकार करें कि निर्यातकों को मूल्यह्रासित हो रहे रुपये से संरक्षण प्राप्त हो सके। इससे उन लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को बढ़ावा मिल सकता है जो मंद आर्थिक वातावरण में निधियों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। बैंक स्वयं अपनी आंतरिक उधारदायी नीतियों के अनुसार निर्यात ऋण भारतीय रुपये में और उसके साथ ही साथ विदेशी मुद्राओं में भी प्रदान करते हैं अर्थात विदेशी मुद्रा में पूर्व-पोतलदान ऋण (PCFC) और विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर ऋण (PSCFC) प्रदान करते हैं। जहां समग्र निर्यात ऋण सीमाओं की गणना भारतीय रुपयों में की जाती है, वहीं विदेशी मुद्रा वाला घटक प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। मूल्यह्रासित हो रहे रुपये से निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के अप्रयुक्त घटक में कमी हो जाती थी।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

सीमांत स्थायी सुविधा दर में कटौती से निधियों की लागत में मामूली कमी होगी

चलनिधि बढ़ाने के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक की मुहिम का निधियों की लागत पर सकारात्मक , किन्तु मामूली प्रभाव होने की आशा है। यह मुहिम सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत बैंक उधार ि खड़की और उसके साथ ही उल्लेखनीय थोक निधीयन वाली संस्थाओं के लिए सकारात्मक है। सीमांत स्थायी सुविधा की दरों में कमी करने से समग्र ब्याज में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी। जमा प्रमाणपत्र और थोक जमा की दरों में कमी आएगी और उसके साथ ही निधियों की लागत में भी 5-10 आधार अंकों की कमी आएगी।

मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देने और उस कार्य में बैंकों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली चुनौतियों का अध्ययन करने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति असंरचित अनुपूरक सेवा डाटा चैनल आरंभ करते हुए उपस्थित होने वाली समस्याओं को निराकरण करेगी तथा एसएमएस द्वारा गूढ़लिखित वातावरण में सभी हैंडसेटों में एक ही अनुप्रयोग के उपयोग से होने वाले लाभों / चुनौतियों पर विचार करेगी। उक्त समिति ऐसे अन्य समाधानों पर भी विचार करेगी जो मोबाइल बैंकिंग के प्रसार-क्षेत्र को विस्तारित कर सकते हैं तथा तदनुसार उन समाधानों को कार्यान्वित करने की रूपरेखा तैयार करेगी। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक श्री बी. संबामूर्ति इस समिति के अध्यक्ष होंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक श्री विजय चुघ सदस्य स चिव होंगे।

छ: बैंक आधार-आधारित विप्रेषण पर सहमत

छ: बैंकों के ग्राहक अब प्राप्तकर्ता की 12 अंकीय आधार संख्या की प्रविष्टि करते हुए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि विप्रेषित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसे ग्राहक ान्होंने अपनी आधार संख्या को अपने बैंक खाते से ाोड़ रखा है केवल प्राप्तकर्ता की आधार संख्या का उपयोग करते हुए अपने मोबाइल फोनों के माध्यम से धनराशि अंतरित कर सकेंगे, ासिसे राष्ट्रीय निधि अंतरण प्रणाली (NEFT) ैसी इंटरनेट-आधारित अंतरण प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। उक्त तत्काल अंतरण प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को एक अधिक नकदी-रहित समाज की दिशा में ले जाने का एक और उपाय है।

ऋण पुनर्व्यवस्था का जमावड़ा प्रणाली के दबावग्रस्त होने का संकेत देता है

अनर्जक आस्तियों में तीव्र वृद्धि का सामना कर रहे बैंक कम्पनियों को ाुकौती की अपेक्षाकृत आसान शर्तें उपलब्ध करा रहे हैं। ाुलाई-सितम्बर वाली तिमाही में ऋण पुनर्व्यवस्था की रकम 22,650 करोड़ रुपये तक पहुंा गई थी, ाो ाून तक के तीन महीनों में पुनर्व्यवस्थित 21,260 करोड़ रुपये से अधिक

थी। जून के अंत में कम्पनी ऋण पुनर्व्यस्था (CDR) कक्ष द्वारा पुनर्व्यवस्थित ऋणों का कुल मूल्य 2.50 करोड़ रुपये था। बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ऋणों के अंश के रूप में पुनर्व्यवस्थित ऋणों की हिस्सेदारी अब बढ़ कर 4.9% हो गई है। कुल ऋणों की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात लगभग 4.5% है।

आरक्षित मुद्रा 10% बढ़ कर 15.65 लाख करोड़ हुई

11 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में आरक्षित मुद्रा 10% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए (4 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह के 15,412 लाख करोड़ के मुकाबले) 15.65 लाख करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा के आंकड़े (मुद्रा आपूर्ति का एक व्यापक माप) जारी किया, जो 4 अक्तूबर को समाप्त पखवाड़े में 89.75 लाख करोड़ थी, जो वर्षानुवर्ष आधार पर 13.2% का उछाल दर्शाता है। 20 सितम्बर को समाप्त पिछले पखवाड़े में यह मुद्रा आपूर्ति 87.95 लाख करोड़ रुपये थी। फिलहाल, वर्तमान वित्त वर्ष में मुद्रा आपूर्ति में 5.93 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो 7.1% की वृद्धि दर्शाती है, जबकि आरक्षित मुद्रा में 50,080 करोड़ रुपये अर्थात् 3.3% की वृद्धि हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा आपूर्ति में वर्षानुवर्ष 13% की वृद्धि का अनुमान लगाया था।

बैंकों द्वारा सतर्कता बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध धोखाधड़ियों में गिरावट

बैंकों द्वारा ऑनलाइन लेनदेनों के सम्बन्ध में जांच को तेज किए जाने के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में भारत में प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध धोखाधड़ियों में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2009 और 2013 के बीच उन्होंने जनशक्ति एवं मशीनरी पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए और उसका फल मिल रहा है। वित्त वर्ष 2013 में 8,765 प्रौद्योगिकी सम्बद्ध धोखाधड़ियां रिपोर्ट की गईं- जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 13% की भारी गिरावट दर्शाते हैं। यह प्रक्रिया जारी है, क्योंकि बैंकों को उन घुसपैठियों और धो खेबाजों का मुकाबला करना है जो अपनी विधियों को प्रति दिन परिष्कृत करते रहते हैं। बैंक उन कपटपूर्ण वेबसाइटों पर नियमित रूप से निगरानी रखते हैं, जो वास्तविक की नकल करते हैं।

बैंकों को साख पत्र स्वीकृति के मानदंडों को कठोर बनाने की सलाह दी गई

वित्त मंत्रालय चाहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्बन्धित उधारकर्ताओं को बैंक गार ंटियां (BGs) अथवा साख पत्र (LCs) जारी करते समय अधिक कठोर मानदंड़ अपनाएं, क्योंकि इस प्रकार के निधीयन के परिणामस्वरूप दोहरा वित्तीयन हो जाता है जिससे उधारकर्ताओं में वित्तीय अनुशासनहीनता पैदा होती है। जून, 2004 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के (बैंक गारंटियों सहित) सभी अप्रतिभूत ऋण जोखिमों (Exposures) से सम्बन्धित समस्त सीमाएं हटा दी थीं तथा बैंकों के निदेशक मण्डलों से इस प्रकार के ऋण जोखिमों (Exposures) के सम्बन्ध में स्वयं अपनी नीतियां निर्धा रित करने के लिए कहा था। वित्त मंत्रालय इस बात के प्रति गंभीर है कि बैंक ऐसे पक्षकारों को जिन्होंने उनसे कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्राप्त कर रखी हैं, इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते समय अपने आपको संयमित रखें।

भारतीय कम्पनियों ने बैंकों से उधार लेने की शुरूआत की, क्योंकि मुद्रा बाज़ार की दरें बढ गईं

बट्टा दरों में बढ़ोत्तरी ने भारतीय कम्पनियों को उनके बाज़ार उधारों को बैंक ऋणों से प्रतिस्थापित करने हेतु प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्येतर ऋण में तीव्र वृद्धि हुई है। यह प्रतिस्थापन इसलिए हुआ क्योंकि वाणिज्यिक पत्रों (CPs) पर बट्टा दरों सहित मुद्रा बाज़ार की दरें बढ़ गई हैं तथा प्राथमिक बाज़ार में मंदी की स्थिति बनी हुई है। 4 अक्तूबर को बैंक ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि एक तिमाही पहले की 14% की तुलना में 17.9% थी। यह वर्तमान वित्त वर्ष में बैंक अग्रिमों की वर्षानुवर्ष दर 15% रहने के भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमान से भी अधिक थी। वाणिज्यिक पत्रों की भारित-औसत बट्टा दर जून 2013 के अंत में 8.54% से बढ़ कर 15 सितम्बर, 2013 को 11.53% हो गई। बट्टा दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने के प्रति अभिरुचि में उल्लेखनीय रूप से कमी आ गई थी और कम्पनियां उसे वैकल्पिक वित्तीयन स्रोतों, विशेषत: बैंक ऋण से प्रतिस्थापित कर रही हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेतावनी दी है कि ऋण देते समय ऋणदाताओं को बेहतर ऋण प्रबन्धन प्रथाएं सुनिश्चित करने तथा इस अनिश्चित आर्थिक वातावरण में उनकी आस्तियों की गुणवत्ता पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है। सभी बैंकों में बड़े साझे ऋण जोखिमों (Exposures) को समाकलित करने और ऋण रजिस्ट्री आंकड़े उपलब्ध कराने की भारतीय रिज़र्व बैंक की इस पहलकदमी से इस समस्या में कमी आने की आशा है।

विनियामकों के कथन

क्रेडिट कार्डों के माध्यम से शून्य % समीकृत मासिक किस्त योजना पर रोक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने पिछले माह बैंकों को क्रेडिट कार्डों के माध्यम से शून्य प्रतिशत समीकृत मासिक किस्त योजनाएं उपलब्ध कराने से विरत रहने का निदेश दिये जाने की सामयिकता की प्रशंसा की है। "त्योहारों के मौसम में गलत बिक्री अपने शिखर पर होती है, इसलिए अधिक लोगों के (खरीदने हेतु) आने पर गलत काम नहीं होने चाहिए। अपने ग्राहकों के प्रति पारदर्शिता बरतें। जिस दर पर आप ऋण प्रदान कर रहें हैं उसकी घोषणा करें। क्रेडिट कार्डों पर ऋण दिए जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। शून्य प्रतिशत का नाम लेकर ग्राहकों से अधिक हरगिज न वसूल करें। उन्हें कमतर ब्याज से प्रलोभित न करें।" जमा संग्रहण की तुलना में उधार में वृद्धि के सम्बन्ध में डॉ. चक्रवर्ती ने कहा कि "बैंक पहले से ही बहुत सारे ऋण दे रहे हैं। उनका वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 80% से अधिक है।"

नये बैंक लाइसेंस

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा यथा-घोषित नये बैंक लाइसेंसों, जिनके जनवरी तक प्रदान किए जाने की आशा है, के लिए आवेदनों की छानबीन करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के

भूतपूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। उक्त पैनल में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूतपूर्व उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी.बी. भावे और भारतीय रिज़र्व बैंक के बोर्ड के सदस्य श्री नचिकेत मोर का सदस्यों के रूप में समावेश है। यह समिति अपनी सिफारिशें गवर्नर और उप गवर्नरों को सौंपेगी, जो अंतिम प्रस्ताव को भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

ग्राहकों की सहायता करने हेतु संविदाएं आसान बनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक श्रीमती दीपाली पंत जोशी के अनुसार आसान संविदाओं से जटिल ऋणों में कई एक प्रच्छन्न जुरमानों एवं शुल्कों की समाप्ति हो जाएगी। "यह कदम प्रत्येक व्यक्ति को वे किस (ऋण संविदा) पर हस्ताक्षर कर रहे हैं इससे अवगत कराएगा। ग्राहकों द्वारा निर्णयन को आसान बनाने के लिए बैंकों का पारदर्शी बनना आवश्यक है। उनके लिए उन मान्यताओं का सत्यापन करना भी आवश्यक है कि उनके उत्पादों और उनके द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली संविदाओं की विषय-वस्तु के बारे में ग्राहक क्या समझते हैं/ क्या नहीं समझते। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ग्राहकों की जरूरतें पूरी करें तथा एक ही आकार सबके लिए अनुकूल होगा वाला दृष्टिकोण अपनाए बिना उत्पादों और सेवाओं का ग्राहकीकरण करें।"

निर्यात बढ़ने, कृषि पैदावार में वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि में उछाल

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन इस बात के प्रति आशावान हैं कि भारत की वृद्धि पिछली तिमाही की गति से तीव्र होगी तथा देश के पास उसके बाहरी ऋणों का वित्तीयन करने हेतु विदेशी मुद्रा का पर्याप्त प्रारक्षित भण्डार मौजूद है। निर्यात अपेक्षाकृत सुदृढ़ हैं, कृषि पैदावार में बढ़ोतरी हो रही है तथा राष्ट्र घटिया मूलभूत सुविधा एवं विकृत विनियामक प्रणाली जैसी मध्यवर्ती चुनौतियों का सामना कर रहा है। जहां मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, वहीं भारत वृद्धि में मंदी के उस दौर से निज़ात पा सकता है जो (एक वर्ष पहले वाले स्तर से) पिछली तिमाही में मार्च 2009 के अंत वाले तीन महीनों के बाद सबसे कम 4.4% पर उत्तेजनाहीन रही। इसके बाद से वृद्धि बेहतरं होनी चाहिए, यद्यपि यह हमारी संभाव्यता से बहुत कम है। उच्च मुद्रास्फीति, कम वृद्धि तथा उच्च राजकोषीय घाटे जैसे स्थूल -आर्थिक असंतुलन दूर किए जाने होंगे। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक, दोनों ही वृद्धि को बढ़ाने और मुद्रास्फीति को रोकने पर ध्यान केन्द्रित किए हुए हैं, यद्यपि वे इन दोनों लक्ष्यों को भिन्न-भिन्न प्राथ मिकताएं दे सकते हैं।

वैश्विक बैंकों के लिए यथातथ्य ऋण जोखिम आंकड़े रखना टेढ़ी खीर

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन ने कहा है कि वैश्विक कारबार वाले अंतर राष्ट्रीय बैंकों के लिए ऋण जोखिम एक्सपोजर के यथातथ्य आंकड़े निरंतर रख पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि उनके लिए कतिपय अधिकार-क्षेत्रों के डाटा गुणवत्ता प्रमाणन का पालन

करना आवश्यक होता है। बासेल-II के स्तंभ II वाले करार में डाटा की गुणवत्ता और डाटा प्रबन्धन की जिम्मेदारी वित्तीय संस्थाओं को सौंपी गई है। बैंकिंग व्यवसाय को ऋण जोखिम (एक्सपोजर) की गणनाओं की परिशुद्धता निरंतर आधार पर सुनिश्चित करनी होती है। वैश्विक उपस्थिति वाले अंतर राष्ट्रीय बैंकों के लिए यह अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

बीमा

जीवन बीमा मानदंडों को कार्यान्वित करने हेतु अधिक समय

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने जीवन बीमा उद्योग के लिए नये वैयक्तिक उत्पाद कार्यान्वित करने की समय-सीमा को 3 माह बढ़ा कर 31 दिसम्बर कर दिया है। यह सुविधा बीमाकर्ताओं को प्रणाली की तैयारी से तालमेल बिठाने में समर्थ बनने के लिए दी गई है। बीमा कम्प नियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की विस्तृत जांच करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नये विनियमनों के तहत उत्पादों की शुरूआत के लिए अनुमति विस्तारित अवधि के दौरान दी जाए। नये दिशानिर्देशों का लक्ष्य बीमा पॉलिसियों को अधिक ग्राहकोनुकूल बनाना है।

कागज़ रहित स्वास्थ्य, मोटर बीमा पॉलिसियां जनवरी से

जीवन बीमा के बाद अब स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसीधारकों को उनकी पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक आरूप में प्राप्त होंगी - इस प्रकार कागज़ी कार्रवाई अप्रचलित हो जाएगी। बीमा सूचना संग्राहकं (Repository) जनवरी, 2014 से इस प्रकार की पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर भण्डा रित करने की सुविधा प्रदान करेंगा। इस सुविधा के लिए पॉलिसीधारकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बीमा सचूना संग्राहकों को भुगतान सीधे बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाएगा। पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने से होने वाला लाभ यह है कि इसमें भौतिक दस्तावेज़ों के खो जाने का कोई जोखिम नहीं होता। इसके अलावा, पॉलिसीधारक अपने प्रीमियमों का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं तथा पॉलिसियों को पोर्टलों के माध्यम से नवीकृत कर सकते हैं।

सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानिए स्वीकार्य होगा

भारतीय अनुपम पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा परिचालित इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानिए (e-KCY) सेवाओं को बीमा के लिए अपने ग्राहक को जानिए की वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके पूर्व बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमाकर्ताओं को यह सूचित किया था कि भारतीय अनुपम पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा नाम, पता और आधार संख्या जैसे विवरण सहित जारी एक पत्र ग्राहक पहचान हेतु एक वैध दस्तावेज़ है। हालांकि हाल ही में भारतीय

अनुपम पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानिए (e-KCY) सेवाएं परिचालित कर दी हैं। अब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानिए (e-KCY) सेवाओं को धन-शोधन निवारण (रिकर्डो का रख-रखाव) नियम, 2005 के तहत अपने ग्राहक को जानिए के सत्यापन हेतु एक वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तथापि, यह ग्राहक की विशिष्ट एवं सुस्पष्ट सहमति के अध्ययीन होगा कि उसके डाटा का भारतीय अनुपम पहचान प्राधिकरण (UIDAI) प्रणाली के माध्यम से उपयोग किया जाए।

विदेशी मुद्रा

नवम्बर, 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.60260	0.438	0.697	1.055	1.436
ाीबीपी	0.86781	0.7927.	1.0444	1.3385	1.6020
यूरो	0.48600	0.508	0.662	0.871	1.090
ापानी येन	0.38857	0.238	0.254	0.303	0.351
कनाडाई डालर	1.45000	1.389	1.608	1.851	2.070
आस्ट्रेलियाई डालर	2.62000	2.870	3.170	3.480	3.710
स्विस फ्रैंक	0.22100	0.143	0.249	0.448	0.642
डैनिश क्रोन	0.61160	0.7550	0.9380	1.1550	1.3790
न्यूीलैंड डालर	3.01250	3.440	3.838	4.100	4.320
स्वीडिश क्रोन	1.27900	1.449	1.663	1.886	2.045
सिंगापुर डालर	0.36000	0.510	0.780	1.105	1.453
हांगकांग डालर	0.49000	0.610	0.830	1.160	1.480
एमवाईआर	3.26000	3.330	3.430	3.540	3.680

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**20 सितम्बर, 2013 के दिन**	**20 सितम्बर, 2013 के दिन**

	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	17, 258.7	2 81,,122. 6
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	15, 484.2	2 52, 695. 9
ख) सोना	1, 366, 4	21, 765. 4
ग) विशेष आहरण अधिकार	273,0	4, 455.7
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	135.1	2, 205.6

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

71 बिलियन अमरीकी डालर के साथ वैश्विक विप्रेषण में भारत सर्वोच्च स्थान पर

रुपये में हुए तीव्र मूल्यह्रास के कारण परिवर्तन पर उन्हें प्राप्त होने वाली रुपये की अधिक रकम का लाभ उठा कर नये वित्त वर्ष में भारत के आप्रवासी कर्मकारों द्वारा 2013 में (प्रारंभिक अपेक्षा से) अधिक डालर विप्रेषित किए जाने की आशा है। उच्चतर अंतर्वाह से चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। विश्व बैंक का दावा है कि अंतराष्ट्रीय आप्रवासी अपने अर्जन में से 71 बिलियन अमरीकी डालर भारत को वापस भेजेंगे, जो समस्त विकासशील देशों में सर्वोच्च है। भारतीय रुपये के कमजोर पड़ने के परिणामस्वरूप विप्रेषणों में उछाल आने की आशा है, क्योंकि अनिवासी भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते मालों, सेवाओं तथा स्वदेश में आस्तियों का लाभ उठाते हैं। वर्ष 2012 में भारत को विप्रेषणों से 69 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए थे।

रुपया बदतर से उछल कर सर्वोत्तम निष्पादक मुद्रा के स्थान पर

रुपये के भाग्य में रातों-रात बदलाव आने लगा और डेढ़ माह के अंतराल में ही भारतीय मुद्रा 2013 के बदतर वैश्विक निष्पादक से छलांग लगा कर सर्वोत्तम कार्य-निष्पादक बन गई। फेडरल रिज़र्व द्वारा उसके मात्रात्मक सहूलियत कार्यक्रम को शुंडाकार किए जाने से भी इस वापसी में सहायता प्राप्त हुई। रुपया, जो जनवरी-सितम्बर के दौरान अमरीकी मुद्रा के समक्ष 17.2% गिर गया था, 15 अक्तूबर को व्यापार बंद होने तक 9.5% मज़बूत हुआ। रुपये को समर्थन प्रदान करने हेतु की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियां (FCNRs) प्राप्त करने हेतु बैंकों के लिए विशेष अदला-बदली सुविधा शामिल थी। इस उपाय के अनुरूप ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की विदेशों से उधार लेने की सीमा बढ़ा कर दो गुनी कर दीं। एक निर्णय था भारतीय तेल कम्पनियों, जिनकी कच्चे तेल के आयात की मांग में भारी हिस्सेदारी हुआ करती थी, को सीधे ही डालर बेचना।

बैंकिंग मामलों से सम्बन्धित कानून

ग्राहक सेवा

ऋण की शर्तों के अधीन उधारकर्ता -दृष्टिबंधककर्ता (अर्थात् शिकायतकर्ता) दृष्टिबंधक रखी गई आ स्तियों को आग के समक्ष और किसी अन्य जोखिम के समक्ष बीमित करने तथा पॉलिसी को बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित करने के लिए बाध्य होता है। आस्तियों को बैंक के पक्ष में बीमित करना किसी भी रूप में बैंक द्वारा विचाराधीन या प्रदान की जाने वाली सेवा का अंग नहीं होता। बैंक द्वारा शिकायतकर्ता की ओर से उसके अनुरोध पर किसी बीमा पॉलिसी का लिया जाना ऐच्छिक कार्य द्वारा निष्पादित एक निष्प्र तिफल सेवा है। इन परिस्थितियों में यह विनिर्णय दिया गया कि बैंक के समक्ष कोई शिकायत नहीं टिकेगी। के.आर. कृष्णाकुट्टी बनाम साउथ संडियन बैंक लिमिटेड और 2 अन्य -एससीआरडीसी -केर ल) ।
(स्रोत : www.rbi.org.in)

सहकारी बैंकिंग

शहरी सहकारी बैंकों के लिए वर्गीकरण मानदंड संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के 'वित्तीय रूप से सुदृढ' एवं 'सुप्रबन्धित' के रूप में वर्गीकरण हेतु मानदंड संशोधित कर दिया है। नये मानदंडों, जिनमें जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में 10% का न्यूनतम पूंजी अनुपात (CRAR) निरंतर आधार पर बनाए रखना अपेक्षित है, में अन्य बातों के साथ ही अब से शहरी सहकारी बैंकों से शाखा प्राधिकरण के लिए प्राप्त आवदनों पर कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा। जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) से सम्ब न्धित पूर्ववर्ती विनिर्देशन यह था कि इसे 10% से कम नहीं होना चाहिए। वित्तीय रूप से सुदृढ़ के रूप में वर्गीकरण के लिए किसी शहरी सहकारी बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां 7% से कम (इसके पूर्व ऐसा कोई विनिर्देशन नहीं था) और 3% (5%) से अनधिक की निवल अनर्जक आस्तियां होनी चाहिए। मार्च 2012 के अंत में देश में 1,618 शहरी सहकारी बैंक थे, जिनकी जमाराशियों और ऋणों की कुल रकमें क्रमश: 2,38,500 करोड़ रुपये और 1,58,000 करोड़ रुपये थीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 'सममूल्य पर' चेक के मानदंड कठोर किए

सहकारी बैंकों में बेहतर पारदर्शिता और उन पर पर्यवेक्षी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रि ज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों को जारी "सममूल्य पर" चेकों के उपयोग हेतु मानदंडों को कठोर बना दिया है। यह देखने में आया है कि शहरी सहकारी बैंक अनुसूचित वा णिज्यिक बैंकों के सममूल्य पर चेक सुविधा का उपयोग न केवल उनके अपने उपयोग, अपितु चलते-फिरते ग्राहकों सहित उनके ग्राहकों के लिए भी कर रहे हैं। "सममूल्य पर" चेक चेक के धारक को किसी अतिरक्त प्रभार के बिना जारीकर्ता बैंक की किसी भी शाखा में देय होता है। सहकारी बैंकों को

इन चेकों का उपयोग केवल विशिष्ट प्रयोजनों अर्थात् उन खाता धारकों के मामले में जिन्होंने अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का पालन किया हो तथा चलते-फिरते ग्राहकों के मामले में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये से कम की नकदी के समक्ष स्वयं उनके उपयोग हेतु करने की सलाह दी गई है। इनका उपयोग करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुसूचित बैंकों में पर्याप्त शेषराशि तथा आहरण व्यवस्था मौजूद हो, इन सममूल्य पर चेकों के निर्गमन से सम्बन्धित रिकार्ड र खना होगा। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जारी सभी "सममूल्य पर " चेक, उनसे सम्बन्धित रकम चाहे जितनी भी क्यों न हो, 'आदाता के खाते में' रेखित हों।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री गौरी शंकर	कार्यपालक निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
केनरा बैंक	अपोलो म्यूनिक	केनरा बैंक की 4,200 शाखाओं में अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा (APHI) उत्पाद वितरित किए जाएंगे, जो इन उत्पादों को बेचने के लिए एक कारपोरेट एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कारबार संपर्की (BC) मैसर्स लिटल वर्ल्ड	कारबार संपर्की के रूप में कार्य करने तथा तत्काल भुगतान सेवा प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के किसी भी बैंक में खाते में धनराशि तुरंत भेजने हेतु बैंक रहित खण्ड को सुविधा प्रदान करने के लिए।

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के मामले में चूक दर में गिरावट

पिछले एक वर्ष में सूक्ष्मवित्त संस्थाओं में होने वाली चूकों में स्थिर गिरावट परिलक्षित हुई क्योंकि वे उधार देने में अधिक चयनात्मक हो गईं। ऋण ब्यूरो इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेज द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रणालीगत चूक दर अप्रैल में 1.1% तथा 2012 के मध्य में 1.6% की तुलना में अगस्त 2013 में घट कर 0.74% हो गई। निरपेक्ष दृष्टि से 30 दिनों से के बकाये वाले खातों की संख्या 2012 के मध्य में 2,98,472 से घट कर अगस्त 2013 में 1,68,865 रह गई, जिसमें अधिकतम

गिरावट आंध्र प्रदेश को छोड़ कर न्य राज्यों में आई।

सूक्ष्मवित्त बाज़ार संभाव्य आकार से बहुत कम : आईसीआरए

साख-निर्धारण एजेन्सी भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) के अनुसार सूक्ष्मवित्त बाज़ार अपने संभाव्य आकार से आधे से भी कम है, क्योंकि कुछेक बड़े बाज़ार अब भी अल्प-वे धित पड़े हैं तथा औसत ऋण आकार वास्तविक मांग से काफी छोटा बना हुआ है। भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) के अनुमान के अनुसार बाज़ार की संभाव्यता 1.4 ला ख करोड़ रुपये से 2.5 लाख करोड़ रुपये वाली है। हालांकि, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) तथा स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम (SHG- BLP) के अधीन संस्थाओं सहित सूक्ष्मवित्त बाज़ार का वर्तमान आकार केवल 60,000 करोड़ रुपये वाला है।

बासेल III-पूंजी विनियमन

बासेल III पर चर्चा को जारी रखते हुए हम निम्नखित सूचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं :

संक्रामी व्यवस्था

बासेल III की शर्तों के अनुसार किसी प्रकार के आसन्न दबाव के बिना सहज स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए पूंजी अनुपातों के लिए उपयुक्त संक्रमी व्यवस्था की गई है जिसकी शुरुआत 01-04-2013 को कर दी गई है। पूंजी अनुपात और साझी इक्विटी से कटौतियां 31-03-2018 से पूर्णत: क्रमबद्ध और कार्यान्वित कर दिए जाएंगे और तदनुसार भारत में परिचालनरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्रमबद्धता की व्यवस्था निम्नानुसार की गई है :
संक्रामी व्यवस्था (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

न्यूनतम पूंजी अनुपात	01/04/13	31/03/14	31/03/15	31/03/16	31/03/17	31/03/18
सीईटी -1	4.50	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50
सीसीबी	-	-	0.625	1.25	1.875	2.50
न्यूनतम सीईटी-1 सीसीबी	4.50	5.00	6.125	6.75	7.375	8.00
न्यूनतम टियर-1 पूंजी	6.00	6.50	7.00	7.00	7.00	7.00
न्यूनतम कुल पूंजी *	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी	9.00	9.00	9.625	10.25	10.875	11.50
सीईठी 1 से सभी कटौतोयों की क्रमबद्धता (%) में #ा	20	40	60	80	100	100

* 9% की न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता और टियर-1 आवश्यकता के बीच अंतर को टियर-2 और उच्चतर रूपों वाली पूंजी से पूरा किया जा सकता है।
# अतिरिक्त टियर-1 और टियर- 2 पूंजी से कटौतियों पर वही संक्रमी दृष्टिकोण लागू होगा।

विनियामक समायोजन (अर्थात् कटौतियां और विवेकसम्मत निस्यंदक) साझी इक्विटी टियर-1 से 31 मार्च 2017 तक पूरी तरह घटाए जाएंगे। इस संक्रमण अवधि के दौरान साझी इक्विटी टियर-1/ अतिरिक्त टियर-1 / टियर-2 पूंजी से न काटी गई शेष राशि बासेल II पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत किए जाने वाले विवेचन के अध्ययीन बने रहेंगे।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां

पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां टियर-II पूंजी का अंग होती हैं। ये आरक्षित निधियां उन आस्तियों के पुनर्मल यन से उद्भूत होती हैं, जो बैंक की बहियों में न्यून मूल्यांकित हैं विशिष्ट रूप से बैंक परिसर विक्रेय प्र तिभूतियां। पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर अनपेक्षित हानियों के लिए एक कुशन के रूप में किस सीमा तक आश्रित रहा जा सकता है यह मुख्यत: निश्चितता के उस स्तर पर निर्भर करता है, जो सम्बन्धित आ स्तियों के बाज़ार मूल्य के अनुमानों तथा बाज़ार की कठिन स्थितियों अथवा जबरन बिक्री के अधीन उनके मूल्यों में उत्तरवर्ती गिरावट को दिया जा सकता है।

शब्दावली

विदेशी मुद्रा में लदान-पूर्व निर्यात ऋण

'लदान -पूर्व' का अर्थ है जब तक कि बैंक के पास निर्यात आदेशों या साखपत्र के प्रस्तुतन से छूट न दी गई हो, किसी बैंक द्वारा किसी निर्यातक को उसके पक्ष में या अन्य व्यक्ति के पक्ष में किसी विदेशी क्रेता द्वारा खोले गए साखपत्र या भारत से माल के निर्यात हेतु किसी पुष्ट या अपरिवर्तनीय आदेश अथवा निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए भारत से निर्यात हेतु आदेश के किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर पोतलदान से पहले माल की खरीद, प्रसंस्करण, विनिर्माण अथवा पैकिंग के वित्तीयन के लिए मंजूर कोई ऋण या अग्रिम अथवा प्रदत्त कोई अन्य ऋण (साख)। निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारियों को निर्यातित माल की घरेलू और आयातित निविष्टियों के लिए लिबोर / यूरो लिबोर / यूरीबोर से सम्बन्धित ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा में लदान-पूर्व निर्यात ऋण (PCFC) प्रदान करने हेतु अनुमति दी गई है।

आरक्षित मुद्रा /धन

आरक्षित मुद्रा /धन से आशय है वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निधियों का वह हिस्सा जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखा जाता है और प्रचलन में कुल मुद्रा। इसे आधार मुद्रा/धन या उच्च सत्ताक मुद्रा /धन भी कहा जाता है।

संस्थान की गतिविधियां

नवम्बर, 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 6ठा कार्यक्रम	25 से 29 नवम्बर ,2013

सितम्बर, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	आवास वित्त पर 4था कार्यक्रम	9 से 11 अक्तूबर, 2013
2	ऋण मूल्यांकन पर 8वां कार्यक्रम (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम	21 से 25 अक्तूबर, 2013
3	अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 3रा कार्यक्रम	21 से 23 अक्तूबर, 2013

संस्थान समाचार

नवम्बर-दिसम्बर - 2013 परीक्षाओं का पुनर्निर्धारण

महत्वपूर्ण सूचना

निर्वाचन आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। चूंकि इससे इन राज्यों में हमारा परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित होगा, सभी केन्द्रों (अखिल भारतीय) में परीक्षाओं को स्थगित करने और उन्हें निम्नानुसार पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :

1) 10वीं, 24वीं नवम्बर और 1ली दिसम्बर, 2013 को आयोजित होने वाली जेएआईआईबी / सीएआईआईबी / चयनात्मक विषयों में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा परीक्षाएं (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विधि) 8वीं, 15वीं और 22वीं दिसम्बर, 2013 के लिए पुनर्निर्धारित की गई हैं।
2) 8वीं, 15वीं और 22वीं दिसम्बर, 2013 को आयोजित होने वाली अन्य डिप्लोमा / प्रमाणपत्र परीक्षाएं (ऑनलाइन विधि) 5वीं, 12वीं और 19वीं जनवरी ,2014 के लिए पुनर्निर्धारित की गई हैं।
उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए पात्र सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे कृपया परीक्षा कार्यक्रम में हुए परिवर्तन को नोट कर लें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

विनियामक मार्गदर्शन

अभ्यर्थीगण कृपया इसे ध्यान में रखें कि किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/कों द्वारा उस वर्ष की क्रमश:31 जुलाई और 31 दिसम्बर तक जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों पर ही विचार किया जाएगा ।

जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी के लिए ई-शिक्षण

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के सभी अभ्यर्थियों के लिए के लिए अपनी ई-शिक्षण सुविधा जारी रखी गई है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

सूक्ष्म / स्थूल शोध

संस्थान द्वारा वर्ष 2013 के लिए स्थूल शोध प्रस्ताव और सूक्ष्म शोध आलेख आमंत्रित हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिफ

संस्थान हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च (DJCHBR) फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान ने जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क कक्षाओं की घोषणा की है। संपर्क कक्षाओं के कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। संस्थान अनुपालन और बैंक प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रम के लिए भी कुछ चुनिंदा केन्द्रों में संपर्क कक्षाओं की सुविधा प्रदान करेगा। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

105.50
100.50
95.50
90.50
85.50
80.50
75.50
70.50
65.50
60.50

01/10/13 07/10/13 08/10/13 14/10/13 15/10/13 18/10/13 22/10/13 24/10/13 25/10/13 29/10/13 30/10/13

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- इस उम्मीद पर कि फेड बॉण्ड खरीद की अपनी मुहिम जारी रखेगा 3री को 61.74 पर बंद हो कर रुपये में तीव्र वापसी दर्ज हुई, जो 62.46 के उसके पिछले बंद वाले स्तर से अधिक था।
- 4 थी को भारतीय मुद्रा 29 पैसे मज़बूत हो कर दो माह के उच्च स्तर 61.44 पर पहुंच गई, क्योंकि अमेरिक में आंशिक बंदी के कारण डालर को वैश्विक मुद्राओं के समक्ष संघर्ष करना पड़ा। इस सप्ताह रुपये में 1.8% की मज़बूती आई।
- 9वीं को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा देश की आर्थिक वृद्ध से सम्बन्धित पूर्वानुमानों में तीव्र कटौती किए जाने के बाद तथा अमरीकी फेड रिजर्व के अगले प्रधान के रूप में सुश्री जेनेट येलेन के नामकरण के अनुसरण में डालर की वापसी के कारण रुपया लुढ़क गया। 9वीं को रुपया प्रति डालर 61.94 पर बंद हुआ।
- 17वीं को रुपया 61.23/24 की तुलना में रुपया 61.27/28 पर बंद हुआ। प्रारंभिक व्यापार में रुपया लुढ़का, किन्तु केन्द्रीय बैंक द्वारा इस आशय का पुन: आश्वासन दिए जाने के बाद कि वह तेल फर्मों के लिए विशेष डालर अदला-बदली सुविधा को अब भी बंद नहीं कर रहा है, पुन: मज़बूत हुआ।
- उसके बाद रुपये में मज़बूती के कुछ संकेत दिखाई देने लगे।
- माह के दौरान स्टर्लिंग के समक्ष 2.88%, जापानी येन के समक्ष 1.68% डालर के समक्ष 1.52% और यूरो के समक्ष 48% की मज़बूती दर्ज करते हुए रुपये में सभी स्तरों पर मूल्यवृद्धि हुई।

भारित औसत मांग दरें

10.50
10,00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

01/10/13 04/10/13 05/10/13 08/10/13 10/10/13 12/10/13 15/10/13 17/10/13 18/10/13
19/10/13 26/10/13 28/10/13 31/10/13

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2013

- मांग दरें व्यापक रूप से श्रेणीबद्ध रहीं।
- दरें 6.86% के न्यून और 9.91% के उच्च स्तर के बीच घटती-बढ़ती रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

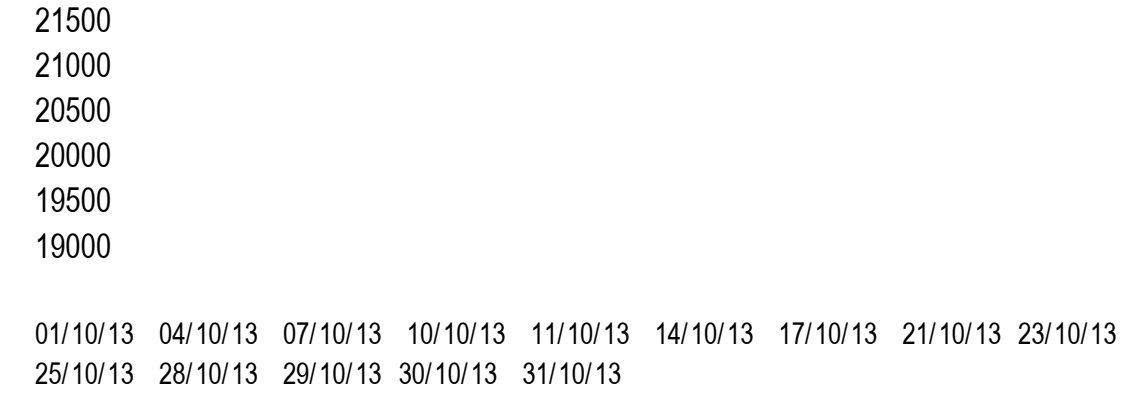

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न नवम्बर, 2013